

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 124 सन 2021

अनवान :-

1. सुरेश पुत्र स्व रामुराम जाति धाणक निवासी बालासर तहसील नोहर ।
2. गोपीराम पुत्र स्व मंगलाराम जाति धाणक निवासी बालासर तहसील नोहर ।

वादीगण

बनाम

1. हनुमान पुत्र डूगरराम जाति धाणक निवासी बालासर तहसील नोहर ।
2. प्रभुराम पुत्र पोकरराम जाति धाणक निवासी बालासर तहसील नोहर ।
3. भादरराम पुत्र पोकरराम जाति धाणक निवासी बालासर तहसील नोहर ।
4. रूकमा पत्नी पोकरराम जाति धाणक निवासी बालासर तहसील नोहर ।
5. सुरेन्द्र पुत्र स्व रामूराम जाति धाणक निवासी बालासर तहसील नोहर ।
6. कृष्णा पुत्री स्व रामूराम जाति धाणक निवासी बालासर तहसील नोहर ।
7. शर्मिला पुत्री स्व रामूराम जाति धाणक निवासी बालासर तहसील नोहर ।
8. राधा पुत्री स्व पोकरराम जाति धाणक निवासी बालासर तहसील नोहर ।
9. बिन्दे पुत्री स्व पोकरराम जाति धाणक निवासी बालासर तहसील नोहर ।
10. विधा पुत्री स्व तुलछी जाति धाणक निवासी बालासर तहसील नोहर ।
11. सन्तोष पुत्री स्व तुलछी जाति धाणक निवासी बालासर तहसील नोहर ।
12. बिदामी पुत्री स्व तुलछी जाति धाणक निवासी बालासर तहसील नोहर ।
13. बख्तावरी पत्नी मंगलाराम जाति धाणक निवासी बालासर तहसील नोहर ।
14. राजेराम पुत्र स्व मंगलाराम जाति धाणक निवासी बालासर तहसील नोहर ।
15. सोहन पुत्र स्व मंगलाराम जाति धाणक निवासी बालासर तहसील नोहर ।
16. पूर्णाराम पुत्र स्व मंगलाराम जाति धाणक निवासी बालासर तहसील नोहर ।
17. रोहताश पुत्र स्व सन्तलाल जाति धाणक निवासी बालासर तहसील नोहर ।
18. मंगतुराम पुत्र स्व सन्तलाल जाति धाणक निवासी बालासर तहसील नोहर ।
19. गुडडी पत्नी स्व सन्तलाल जाति धाणक निवासी बालासर तहसील नोहर ।
20. कृष्ण पुत्री स्व सन्तलाल जाति धाणक निवासी बालासर तहसील नोहर ।
21. धापा पुत्री स्व सन्तलाल जाति धाणक निवासी बालासर तहसील नोहर ।
22. लिछमा पुत्री स्व मंगलाराम जाति धाणक निवासी बालासर तहसील नोहर ।
23. रामप्यारी पुत्री स्व मंगलाराम जाति धाणक निवासी बालासर तहसील नोहर ।
24. जगदीश पुत्री स्व धन्नाराम जाति धाणक निवासी बालासर तहसील नोहर ।
25. महावीर पुत्री स्व धन्नाराम जाति धाणक निवासी बालासर तहसील नोहर ।
26. सुखराम पुत्र मांगीलाल जाति धाणक निवासी बालासर तहसील नोहर ।
27. विकाश पुत्र मांगीलाल जाति धाणक निवासी बालासर तहसील नोहर ।
28. जैता पत्नी मांगीलाल जाति धाणक निवासी बालासर तहसील नोहर ।
29. सुमन पुत्री मांगीलाल जाति धाणक निवासी बालासर तहसील नोहर ।
30. सावित्री पत्नी स्व रामूराम पुत्र धन्नाराम जाति धाणक निवासी बालासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।
31. धोलुराम पुत्र रामुराम पुत्र धन्नाराम जाति धाणक निवासी बालासर तहसील नोहर ।
32. विनोद कुमार पुत्र रामुराम पुत्र धन्नाराम जाति धाणक निवासी बालासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।
33. मंजु पुत्री रामुराम पुत्र धन्नाराम जाति धाणक निवासी बालासर तहसील नोहर ।
34. दीपीका पुत्री रामुराम पुत्र धन्नाराम जाति धाणक निवासी बालासर तहसील नोहर ।
35. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 15/04/2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा बालासर के खाता संख्या 320/273 की कुल 24.1800हैक् एवं रेखमालिया के


उपखण्ड अधिकारी
नोहर

खाता संख्या 143/130 की कुल 5.3110हैक् एवं रोही मौज रेखमालिया के खाता संख्या 44/39 की कुल 7.2340हैक् भूमि मृतक धन्ना पुत्र लूना , गंगा पत्नि डुगर , पोकर मंगला पुत्र लूना व हनुमान के नाम से दर्ज है।

वाद भूमि मृतक धन्ना पुत्र लूना , गंगा पत्नि डुगर , पोकर , मंगला पी0 लूना एवं हनुमान पुत्र डुगर के नाम से दर्ज है जिसमें से हनुमान पुत्र डुगर के अतिरिक्त सभी का देहान्त हो चुका है जिनके जायज व कानुनी वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 34 है।

वाद भूमि मृतक धन्ना पुत्र लूना , गंगा पत्नि डुगर , पोकर , मंगला पी0 लूना के नाम से दर्ज है जिनके वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 34 है विरास्तन से वाद भूमि विरास्तन से अपने हक हिस्सा के अनुसार अपने नाम दर्ज करवाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 6 ता 12 ,19 ता 23 ,28 ता 30 ,33 ,34 वादी की बहने/बुआ /माता/पिता है प्रतिवादी संख्या 6 ता 12 ,19 ता 23 ,28 ता 30 ,34 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ,14 ता 18 ,24 ता 27 ,31 ,32 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ,14 ता 18 ,24 ता 27 ,31 ,32 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 34 को कई मर्तबा कहा की वादीगण के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वाद भूमि जो मृतक धन्ना पुत्र लूना , गंगा पत्नि डुगर , पोकर , मंगला पी0 लूना के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ,14 ता 18 ,24 ता 27 ,31 ,32 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 34 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 34 ने निवेदन किया की वाद भूमि मृतक धन्ना पुत्र लूना , गंगा पत्नि डुगर , पोकर , मंगला पी0 लूना के नाम से दर्ज है जिनके वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 34 है विरास्तन से वाद भूमि अपने हक हिस्सा के अनुसार अपने नाम दर्ज करवाने के अधिकारी है तथा प्रतिवादी संख्या 6 ता 12 ,19 ता 23 ,28 ता 30 ,33 ,34 वादी की बहने/बुआ /माता/पिता है प्रतिवादी संख्या 6 ता 12 ,19 ता 23 ,28 ता 30 ,34 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ,14 ता 18 ,24 ता 27 ,31 ,32 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ,14 ता 18 ,24 ता 27 ,31 ,32 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ,14 ता 18 ,24 ता 27 ,31 ,32 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 35 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा बालासर के खाता संख्या 320/273 की कुल 24.1800हैक् एवं रेखमालिया के खाता संख्या 143/130 की कुल 5.3110हैक् एवं रोही मौज रेखमालिया

के खाता संख्या 44/39 की कुल 7.2340 हैक भूमि मृतक धन्ना पुत्र लूना , गंगा पत्नि डुगर , पोकर मंगला पुत्र लुना व हनुमान के नाम से दर्ज है।

वाद भूमि मृतक धन्ना पुत्र लूना , गंगा पत्नि डुगर , पोकर , मंगला पी0 लूना एवं हनुमान पुत्र डुगर के नाम से दर्ज है जिसमें से हनुमान पुत्र डुगर के अतिरिक्त सभी का देहान्त हो चुका है जिनके जायज व कानुनी वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 34 है।

वाद भूमि मृतक धन्ना पुत्र लूना , गंगा पत्नि डुगर , पोकर , मंगला पी0 लूना के नाम से दर्ज है जिनके वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 34 है विरास्तन से वाद भूमि विरास्तन से अपने हक हिस्सा के अनुसार अपने नाम दर्ज करवाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 6 ता 12 ,19 ता 23 ,28 ता 30 ,33 ,34 वादी की बहने/बुआ /माता/पिता है प्रतिवादी संख्या 6 ता 12 ,19 ता 23 ,28 ता 30 ,34 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ,14 ता 18 ,24 ता 27 ,31 ,32 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ,14 ता 18 ,24 ता 27 ,31 ,32 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 34 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

परोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पत्ति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा बालासर के खाता संख्या 320/273 की कुल 24.1800 हैक एवं रेखमालिया के खाता संख्या 143/130 की कुल 5.3110 हैक एवं रोही मौज रेखमालिया के खाता संख्या 44/39 की कुल 7.2340 हैक भूमि मृतक धन्ना पुत्र लूना , गंगा पत्नि डुगर , पोकर मंगला पुत्र लुना व हनुमान के नाम से दर्ज है।


वादीगण का कथन है कि वाद भूमि मृतक धन्ना पुत्र लूना , गंगा पत्नि डुगर , पोकर , मंगला पी0 लूना के नाम से दर्ज है जिनके वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 34 है विरास्तन से वाद भूमि विरास्तन से अपने हक हिस्सा के अनुसार अपने नाम दर्ज करवाने के अधिकारी है वादीगण के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 34 ने स्वीकार किया की विरास्तन से वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 34 के हक हिस्सा की भूमि है व अपने कथनों के समर्थन में इकबाल भी पेश किया जा चुका है तथा वादीगण का कथन प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों से भी साबित होता है। अर्थात वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 34 के हक हिस्सा की भूमि है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 6 ता 12 ,19 ता 23 ,28 ता 30 ,34 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 6 ता 12 ,19 ता 23 ,28 ता 30 ,34 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ,14 ता 18 ,24 ता 27 ,31 ,32 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थ में इकबाल भी पेश किया गया है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चर्चा होते हैं के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 1 6 ता 12 ,19 ता 23 ,28 ता 30 ,34

कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा बालासर के खाता संख्या 320/273 की कुल 28.8100हैक में से सयुक्त तौर से 11.132हैक भूमि में वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 5 बहिब 1/3 हिस्सा, एवं प्रतिवादी संख्या 2 ,3 बहिब 2/3 हिस्सा एवं शेष 13.678हैक भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 1/3 हिस्सा एवं वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 14 ता 16 बहिब 4/15 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 17 ,18 बहिब 1/15 हिस्सा , एवं प्रतिवादी संख्या 24 ,25 बहिब 1/6 हिस्से एवं प्रतिवादी संख्या 26 ,27 बहिब 1/6 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 31 ,32 बहिब 1/6 हिस्से के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है तथा रोही मौजा रेखमालिया के खाता संख्या 143/139 की कुल 5.3110हैक भूमि का वादी अकेला खातेदार काश्तकार रहेगा एवं रोही मौजा रेखमालिया के खाता संख्या 44/39 की कुल 7.2340हैक भूमि में प्रतिवादी संख्या 24 ,25 बहिब 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 31 ता 32 बहिब 1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है तथा मृतक धन्ना पुत्र लूना , गंगा पत्नि डुगर , पोकर , मंगला पी0 लूना का नामकलमजन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 15/4/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)
बिहर

सत्यमेव जयते

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. सुरेश पुत्र स्व रामुराम जाति धाणक निवासी बालासर तहसील नोहर ।
2. गोपीराम पुत्र स्व मंगलाराम जाति धाणक निवासी बालासर तहसील नोहर ।

वादीगण

बनाम

- 1 हनुमान पुत्र डूगरराम जाति धाणक निवासी बालासर तहसील नोहर ।
- 2 प्रभुराम पुत्र पोकुरराम जाति धाणक निवासी बालासर तहसील नोहर ।
- 3 भादरराम पुत्र पोकुरराम जाति धाणक निवासी बालासर तहसील नोहर ।
- 4 रूकमा पत्नी पोकुरराम जाति धाणक निवासी बालासर तहसील नोहर ।
- 5 सुरेन्द्र पुत्र स्व रामूराम जाति धाणक निवासी बालासर तहसील नोहर ।
- 6 कृष्णा पुत्री स्व रामूराम जाति धाणक निवासी बालासर तहसील नोहर ।
- 7 शर्मिला पुत्री स्व रामूराम जाति धाणक निवासी बालासर तहसील नोहर ।
- 8 राधा पुत्री स्व पोकुरराम जाति धाणक निवासी बालासर तहसील नोहर ।
- 9 बिन्दे पुत्री स्व पोकुरराम जाति धाणक निवासी बालासर तहसील नोहर ।
- 10 विधा पुत्री स्व तुलछी जाति धाणक निवासी बालासर तहसील नोहर ।
- 11 सन्तोष पुत्री स्व तुलछी जाति धाणक निवासी बालासर तहसील नोहर ।
- 12 बिदामी पुत्री स्व तुलछी जाति धाणक निवासी बालासर तहसील नोहर ।
- 13 बख्तावरी पत्नी मंगलाराम जाति धाणक निवासी बालासर तहसील नोहर ।
- 14 राजेराम पुत्र स्व मंगलाराम जाति धाणक निवासी बालासर तहसील नोहर ।
- 15 सोहन पुत्र स्व मंगलाराम जाति धाणक निवासी बालासर तहसील नोहर ।
- 16 पूर्णाराम पुत्र स्व मंगलाराम जाति धाणक निवासी बालासर तहसील नोहर ।
- 17 रोहताश पुत्र स्व सन्तलाल जाति धाणक निवासी बालासर तहसील नोहर ।
- 18 मंगतुराम पुत्र स्व सन्तलाल जाति धाणक निवासी बालासर तहसील नोहर ।
- 19 गुडडी पत्नी स्व सन्तलाल जाति धाणक निवासी बालासर तहसील नोहर ।
- 20 कृष्ण पुत्री स्व सन्तलाल जाति धाणक निवासी बालासर तहसील नोहर ।
- 21 धापा पुत्री स्व सन्तलाल जाति धाणक निवासी बालासर तहसील नोहर ।
- 22 लिछमा पुत्री स्व मंगलाराम जाति धाणक निवासी बालासर तहसील नोहर ।
- 23 रामप्यारी पुत्री स्व मंगलाराम जाति धाणक निवासी बालासर तहसील नोहर ।
- 24 जगदीश पुत्री स्व धन्नाराम जाति धाणक निवासी बालासर तहसील नोहर ।
- 25 महावीर पुत्री स्व धन्नाराम जाति धाणक निवासी बालासर तहसील नोहर ।
- 26 सुखराम पुत्र मांगीलाल जाति धाणक निवासी बालासर तहसील नोहर ।
- 27 विकाश पुत्र मांगीलाल जाति धाणक निवासी बालासर तहसील नोहर ।
- 28 जैता पत्नी मांगीलाल जाति धाणक निवासी बालासर तहसील नोहर ।
- 29 सुमन पुत्री मांगीलाल जाति धाणक निवासी बालासर तहसील नोहर ।
- 30 सावित्री पत्नी स्व रामूराम पुत्र धन्नाराम जाति धाणक निवासी बालासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।
- 31 धोलुराम पुत्र रामुराम पुत्र धन्नाराम जाति धाणक निवासी बालासर तहसील नोहर ।
- 32 विनोद कुमार पुत्र रामुराम पुत्र धन्नाराम जाति धाणक निवासी बालासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।
- 33 मंजु पुत्री रामुराम पुत्र धन्नाराम जाति धाणक निवासी बालासर तहसील नोहर ।
- 34 दीपीका पुत्री रामुराम पुत्र धन्नाराम जाति धाणक निवासी बालासर तहसील नोहर ।
- 35 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 124 सन 2021 निर्णय दिनांक- 15/04/2021

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के

उपखण्ड अधिकारी

नोहर

ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 34 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा बालासर के खाता संख्या 320/273 की कुल 28.8100हैक् में से सयुक्त तौर से 11.132हैक् भूमि में वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 5 बहिब 1/3 हिस्सा, एवं प्रतिवादी संख्या 2 ,3 बहिब 2/3 हिस्सा एवं शेष 13.678हैक् भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 1/3 हिस्सा एवं वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 14 ता 16 बहिब 4/15 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 17 ,18 बहिब 1/15 हिस्सा , एवं प्रतिवादी संख्या 24 ,25 बहिब 1/6 हिस्से एवं प्रतिवादी संख्या 26 ,27 बहिब 1/6 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 31 ,32 बहिब 1/6 हिस्से के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है तथा रोही मौजा रेखमालिया के खाता संख्या 143/139 की कुल 5.3110हैक् भूमि का वादी अकेला खातेदार काश्तकार रहेगा एवं रोही मौजा रेखमालिया के खाता संख्या 44/39 की कुल 7.2340हैक् भूमि में प्रतिवादी संख्या 24 ,25 बहिब 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 31 ता 32 बहिब 1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है तथा मृतक धन्ना पुत्र लूना , गंगा पत्नि डुगर , पोकर , मंगला पी0 लूना का नामकलमजन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 15/04/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनुमानगढ़)
नोहर

सत्यमेव जयते